

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
 मनीषा पालि देमराज बनाम धर्मराज पुत्र उदुनाथ

किरम मुकदमा/धारा: - प्रार्थना - पत्र / 111-128

प्रकरण संख्या: 53 / 2026 जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम तामील जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

1/04/2026
 प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 9/04/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

04/2026 पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित हुए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित हुए तहसीलघर बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व दस्तार हो।



उप खण्ड अधिकारी
 बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 53/26

तारीख दायर - 2/4/2025

मनीषा पत्नि हेमराज कराड़ जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. धर्मराज पुत्र रुघनाथ जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
2. होकमीचन्द पुत्र रामा जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
3. प्रभूलाल पुत्र शंकरलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक - 9/4/26

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 153 पर अंकित आराजी संख्या 622 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 761/619 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5099 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।



प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

8/
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 53/26

तारीख दायर - 1/4/26
तारीख फ. - 9/4/26

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 53 / 2026 पत्थरगढ़ी बाबत।

मनीषा पत्नि हेमराज कराड़ जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज) प्रार्थीया

बनाम

1. धर्मराज पुत्र रुघनाथ जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज)
2. होकमीचन्द पुत्र रामा जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज)
3. प्रभूलाल पुत्र शंकरलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम
गोपालपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 153 पर
अंकित आराजी संख्या 622 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 761/619 रकबा
0.1133 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5099 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के
पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो
जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु
सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा।
पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ